THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA) (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Curbing the consumption of petroleum

2920. SHRI KRISHAN LAL SHRMA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the consumption of petroleum products is increasing fast in the country;

(b) if so, the details of the increase during the years, 1992 to 1994 as on date;

(c) what steps Government have taken to curb the consumption of petroleum products and the results achieved; and

(d) what is the role of Petroleum Conservation and Research Association in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) and (b) There is a very moderate increase in the consumption of petroleum products in recent years as can be seen from figures given below:-

(Figures in TMT)

Year	Consumption	%Growth
1991-92	56974	3.5
1992-93	59205	3.9
1993-94	60760 (Estimated)	2.6

(c) The various measures include adoption of practices for increasing fuel-efficiency, lube upgradation and inter-fuel substitution in the transport sector, re-placement of inefficient boilers and furnaces, promotion of use of fuel-efficient equipment and practices in the industrial sctor; rectification of pump sets in the agriculture sector development and promotion of fuel efficient kerosene and LPG stoves and lamps in the domestic sector, and multi-media awarness campaigns as well as education and training to the target group of oil users in these sectors. These measures have resulted in the saving of petroleum products.

(d) The Petroleum Conservation Research Association (PCRA) is the main organisation under the Ministry to take and promote the adoption of the measures referred to in part (c) above.

बिहार को प्रकृतिक गैस का आबंटन

2921. **श्री एस०एस० अहलुवालिया :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार से प्रदेश को प्राकृतिक गैस आबंटित करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार बिहा को प्रतिमाह कितनी मात्रा में प्राकृतिर गैस आबंटित करने का विचार रखतीक है जिससे राज्य में गैस-आधारित उद्योग स्थापित किये जा सकें ?

पेट्रोलियम और प्र कृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) और (ख) एच बी जे पाइपलाइन का बिहार तक विस्तार करने के संबंध में समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं ।

(ग) अतिरिक्त गैस उपलब्ध न होने की स्थिति में एच बी जे पाइपलाइन का बिहार तक विस्तार करने पर विचार करना संभव नहीं हो सका । इसके अतिरिक्त स्थानीय रूप से उपलब्ध कोयले की

अपेक्षा गैस एक व्यवहार्य विकल्प नहीं हो सकती ।

एल०पी०जी० कनेक्शन दिये जाने में विलंब

2922. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 दिसम्बर, 1993 तक उन व्यक्तियों को अभी तक एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं दिये गये हैं जिन्होंने पांच वर्ष पूर्व पंजीकरण कराया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नियम क्या हैं ; और

(ग) राज्य-वार किस-किस दिनांक तक के पंजीकरण धारकों को एल पी जी कनेक्शन दे दिये गये हैं और उनका ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) :(क) और (ख) नये एल. पी.जी. कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध गुंजाइश, प्रतीक्षा सूची और उत्पाद उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये डिस्ट्रीब्यूटर को आबंटित नये उपभोक्ता पंजीयन के आधार पर संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर के पास पंजीकरण के क्रम के अनुसार प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्तियों को दिये जाते हैं । कनेक्शनों का दिया जाना पंजीयन अवधि पर आधारित नहीं है ।

(ग) प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों का निपटान पेरे देश में बाजार दर बाजार और डिस्ट्रीब्यूटर दर डिस्ट्रीब्यूटर अलग-अलग होता है । राज्य-वार कोई एक रूप स्थिति नहीं है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप का कोटा

2923. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों को एल.पी.जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिप निर्धारित कोटे के अनुरुप आबंटित नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1993 तक की स्थिति के अनुसार इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिये राज्य-वार कितना कोटा निर्धारित है और उसमें से कितने प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आबंटित की गई हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) से (ग) मौजूदा नीति के अनुसार तेल चयन बोर्डों के माध्यम से आबंटित की जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की सभी डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का 25% प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित है । यह आरक्षण उन चार उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू नहीं होता जहां निम्नलिखित पद्धति के आधार पर आरक्षण केवल अनुसूचित जन-जातियों को दिया गया है:–

अरूणाचल प्रदेश	70%
नागालैंड	80%
मिजोरम	90%
मेघालय	80%

आरक्षण प्रतिशत पूरा किया जा रहा है ।

Potential of natural and associated gas

2924. SHRIMATI ILA PANDA: Will the Minister of PETROLEUM